

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोवर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 50 सन 2022

अन्वयान :-

1. उदाराम पुत्री कान्हाराम जाति जाट निवासी शिरगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

वादी

1. सुष्मा पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन शिरगसर तहसील नोहर।
2. सुशी पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन शिरगसर तहसील नोहर।
3. गीता पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन शिरगसर तहसील नोहर।
4. वन्दोदेवी पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन शिरगसर तहसील नोहर।
5. तीजा पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन शिरगसर तहसील नोहर।
6. प्रतापी पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन शिरगसर तहसील नोहर।
7. परमेश्वरी पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन शिरगसर तहसील नोहर।
8. शोभा पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन शिरगसर तहसील नोहर।
9. बानू पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन शिरगसर तहसील नोहर।
10. सखी पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन शिरगसर तहसील नोहर।
11. राजस्थान राजस्व जारिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित श्री रविन्द्र कुमार मोदारा अधिवक्ता वादी

पैरोकर राज

निर्णय दिनांक :- 27/6/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने जारिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा शिरगसर के खाता संख्या 20/43 की कुल 23,959 हेक्टर व ढाणी रायकान के खाता संख्या 171/52 की कुल 2,54,20 हेक्टर व रोही मौजा शिरगसर के खाता संख्या 76/66 की कुल 1,47,0 हेक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गंगादेवी पत्नी कान्हाराम , प्रतिवादी संख्या 9-10 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गंगादेवी पत्नी कान्हाराम , प्रतिवादी संख्या 9-10 के नाम से दर्ज है गंगादेवी पत्नी कान्हाराम जो वादी की माता है का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान राजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो गंगाराम पत्नी कान्हाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने की अधिकारी है अर्थात् वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 वादी की बहने है एवं गंगादेवी पत्नी कान्हाराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की गंगादेवी पत्नी कान्हाराम , प्रतिवादी संख्या 9-10 के नाम से दर्ज भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जारिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जारिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसकी माता गंगादेवी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्नी कान्हाराम एवं प्रतिवादी संख्या 9,10 के नाम से दर्ज है वादी की माता गंगादेवी पत्नी कान्हाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 20/43 की कुल 23.959हैक व ढाणी रायकान के खाता संख्या 171/52 की कुल 2.5420हैक व रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 76/66 की कुल 1.4170हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गंगादेवी पत्नी कान्हाराम, प्रतिवादी संख्या 9,10 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गंगादेवी पत्नी कान्हाराम, प्रतिवादी संख्या 9,10 के नाम से दर्ज है गंगादेवी पत्नी कान्हाराम जो वादी की माता है का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो गंगाराम पत्नी कान्हाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने की अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 वादी की बहने है एवं गंगादेवी पत्नी कान्हाराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 20/43 की कुल 23.959हैक व ढाणी रायकान के खाता संख्या 171/52 की कुल 2.5420हैक व रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 76/66 की कुल 1.4170हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गंगादेवी पत्नी कान्हाराम, प्रतिवादी संख्या 9,10 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसकी माता गंगादेवी पत्नी कान्हाराम एवं प्रतिवादी संख्या 9,10 के नाम से दर्ज है वादी की माता गंगादेवी पत्नी कान्हाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है।

व्यवस्थापक अधिकारी
नोहर

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरसा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 20/43 की कुल 23.959हैक् व ढाणी रायकान के खाता संख्या 171/52 की कुल 2.5420हैक् में प्रतिवादी संख्या 9 ,10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 76/66 की कुल 1.4170हैक् भूमि गंगादेवी पत्नी कान्हाराम , प्रतिवादी संख्या 9 ,10 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/6/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. उदाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी सिरगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कृष्णा पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर।
2. गुडी पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर।
3. गीता पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर।
4. चन्दोदेवी पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर।
5. तीजा पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर।
6. पतासी पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर।
7. परमेश्वरी पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर।
8. शोभा पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर।
9. बादू पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर।
10. सजना पुत्री कान्हाराम जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 50 सन 2022 निर्णय दिनांक- 27/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 20/43 की कुल 23.959हैक् व ढाणी रायकान के खाता संख्या 171/52 की कुल 2.5420हैक् में प्रतिवादी संख्या 9,10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 76/66 की कुल 1.4170हैक् भूमि गंगादेवी पत्नी कान्हाराम, प्रतिवादी संख्या 9,10 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर